



Sr. Divisional Accounts Officer
R.W.D. Works Division
Sapient

Executive Engineer
A. V. D. Works Division
Bangalore
11.3.22

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-164/2021 - 1059 /पटना, दिनांक-02/03/2022
प्रेषक,

कृष्ण मोहन सिंह, बि0प्र0से0
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड-37-3054-04- 105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

SL No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	AA Amount	Revised Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Revised Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Total Revised Estimated Cost (in Lakhs)	Revised Initial Rectification + 5 Year Maint. After deducting Agreement Amount	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Revised Estimated Cost (in Lakhs)	Amount /Km (in Lakhs)	Percentage Increase/Decrease	Below quoted Agreement rate (in %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(10+11)	13	14	15
1	Samastipur	Samastipur	Karpuri Gram Panchayat Bhawan to Ramkrishanpur	0.910	17.87390	19.02000	8.94000	27.96000	25.17000	1.08000	26.25000	20.90	46.86	(-10.00%)

- उक्त योजना का विभागीय पत्रांक- 2173 दिनांक-06.07.2019 के द्वारा कुल 17.87390 लाख रुपये पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की गयी थी।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, समस्तीपुर योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 21.01.2022 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-164/2021 में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्राप्त है।
- योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

Sr. Divisional Accounts Officer
R.W.D. Works Division

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Samastipur

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

550 mr
360 mr
910 mr

11.2.22